

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE
RED RUPEES



भारत (INDIA)
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 166099

(प्रारूप-अ)

14 AUG 2023

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोगा इन फार्मेसी संस्थानों की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और न्यायिक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम रमाशंकर सिंह अध्यक्ष जय बजरंगबली फाउण्डेशन ट्रस्ट, ग्राम-करमपुर सैदपुर, जनपद-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश शपथपूर्वक निम्नवत व्याख्या करते हैं कि:-

- यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा दीवा कालेज ऑफ फार्मेसी, ग्राम व पोस्ट-अनौनी सैदपुर, जनपद-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश नामक डिप्लोगा इस फार्मेसी संस्थान की स्थापना 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
- यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम पता ग्राम व पोस्ट-अनौनी सैदपुर, जनपद-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में 52 एवं 53 कुल रकमा 0.9999 हेक्टेयर भूमि है।

- यह कि हमारी उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि वाद रहित है।

- यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि की के गाठा संख्य 52 एवं 53 कुल रकमा 0.9999 हेक्टेयर क्रमशः हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोगा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 07.06.2017 द्वारा पारित किया गया है।

- यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नवशे के अनुसार किया गया है।

NOTARY के निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्वाचित

Lucknow (Uttar Pradesh) द्वारा निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

Date 02/09/2023 इस भूमि पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

I do now and declare by the deponent
I have signed put my before me.

8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और नहीं भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक वलास रुम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तीनाती सोसाइटी/द्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलि-भाति पालन करेंगा। यह कि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है, तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया जाया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्व रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, चूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमसंरक्षक अनुनून संगत कार्यवाही की जायेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



ह० सचिव

Chairman/Secretary
Jai Bajrang Bali Foundation Trust
Ghazipur

Kartikay Kumar Singh
ह० अध्यक्ष
Chairman/Secretary
Jai Bajrang Bali Foundation Trust
Ghazipur

ATTESTED

Sworn & Verified
Before Me,

Kartikay Kumar Singh
[Signature]
(Advocate)
NOTARY

Lucknow (U.P.) INDIA
Date 02/09/2023....

[Signature]
I know and identify the deponent who
has signed put T.L. before me.